

नंबर

लय उपखण्ड

तारीख रजू

वक्ता का नं

2/199/2022

बनाम गजराजसिंह

भूपसिंह वगैरा

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

15.07.2022

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्जे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 98, वाके ग्राम सहजपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 29.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 29.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलप)

27.7.22 मुद्राव डीकेन एच/P.O.  
वाहव (22-7-2022) 16/9/22  
पत्रावली दिनांक 16/9/22  
को पेश हो।

16/9/22

15/7/22  
उलकी  
दिनांक 19/9/22



उपखण्ड अधिकारी

1/9/23

विभागाध्यक्ष पत्रावली वापस करण टाई दिनांक 24/4/23

को पेश ही

*[Signature]*

29/4/23

व्युत्पन्न साप्ताहिक आदेश दिनांक 18/4/23

को पालना में पत्रा भी कासे... दिनांक 15/5/23 को पर ही आदेश

*[Signature]*  
सहायक अधिकारी

15/5/23

व्युत्पन्न आदेश... दिनांक 19/5/23 को पेश

की *[Signature]*

19/5/23

व्युत्पन्न आदेश... को सहित करते में अपन रहा है... को पालना... को पेश ही

सहायक अधिकारी  
केंद्र (अवकाश)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/199/2022

वउनवान

1. गजराजसिंह पुत्र जयकिशन जाति मीना निवासी चेनपुरा  
तहसील कठूमर

———— सायल

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी बरोलीछार
2. नटवर पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी बरोलीछार  
तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. मिथलेश पत्नी कल्लाराम गर्ग निवासी खेरली
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र शिम्मूदयाल जाति महाजन निवासी खेरली  
तहसील कठूमर जिला अलवर

———— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम

उपस्थित :-श्री सुभाषचन्द "अरूवा"—अधिवक्ता सायला

श्री मानसिंह चौधरी— अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 19.05.2023

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर98 रकवा 1.11 हे. ग्राम सहजपुरा तहसील कठूमर मे स्थित है। उक्त आराजी में से एक प्लाट 10/36/40 फुट का विवादित है। विवादित प्लाट की पैमायस उत्तर दक्षिण सिरा पूर्व 40 फुट सिरा पश्चिम 36 फुट पूर्व पश्चिम दोनों सिरा 10 फुट है। हद्द अर्वा— तरफ उत्तर मुनेश व दिलीप का मकान, तरफ दक्षिण सडक वाई पास, तरफ

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर) राज०

पूर्व दुकान पिंकी तथा तरफ पश्चिम प्लाट दिलीपशर्मा का है। उक्त प्लाट वादी के कब्जे एवं स्वामित्व का खरीदशुदा है तथा खसरा नम्बर 98 का भाग है। उक्त प्लाट को खातेदार मिथलेश व लक्ष्मीनारायण ने शांतिदेवी पत्नी हरीप्रसाद निवासी खेरली को दिनांक 28.11.1991 को वरूवे ईकरारनामा वेचान किया था। शांतिदेवी ने उक्त प्लाट श्रीमति विरमा देवी निवासी खेरली को दिनांक 24.02.1996 को वरूवे ईकरारनामा वेचान कर कब्जा संभलवा दिया था विरमा देवी का स्वर्गवास हो गया है तथा विरमा देवी के पति का भी स्वर्गवास हो गया है। विरमादेवी का एक मात्र वारिस अमितकुमार पुत्र उमेशचन्द निवासी खेरली से वादी ने उक्त प्लाट दिनांक 15.12.2021 को नकद जरे वय 25000 रूपया में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। ईकरारनामा नोटरी से तस्दीक है। उक्त प्लाट में तीन साइड कुर्सी तक निर्माण हो रहा है। उक्त विवादित प्लाट से प्रतिवादीगण का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान दिनांक 08.07.2022 को विवादित प्लाट पर ट्रॉली में ईट भरकर लाये तथा प्लाट के सामने सडक पर खाली कर दी व विवादित प्लाट पर जवरन कब्जा करने की कोशिश की इसके बाद दिनांक 14.07.2022 को गैरसायलान जवरन प्लाट में निर्माण करने का प्रयास करने लगे वडी मुश्किल से रोका यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो सायल तवाह एवं वर्वाद हो जावेगा। दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फ़ैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

सायल सं0 1-2 ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायल ने प्लाट की हदूद अर्वा व लम्बाई चौडाई गलत दर्ज की है। उक्त प्लाट सायल का ना होकर गैरसायलान का खरीदशुदा प्लाट है।

  
उपसण्ड अधिकारी  
कलकत्ता (अलवट) राज०

जिसकी हद्द अर्वा पूर्व में दिलीपसिंह का प्लाट, पश्चिम में दिलीपसिंह का प्लाट, उत्तर में दिलीप का खेत, दक्षिण में सडक सरकारी है। पूर्व से पश्चिम की चौडाई 13 फुट उत्तर से दक्षिण तरफ पूर्व 40 फुट तरफ पश्चिम 40 फुट है। जिसकी गैरसायलान ने मौके पर कुर्सी तक नींव भरवा रखी है। जो प्लाट खसरा नम्बर 98 का भाग है। उक्त खेत में से एक प्लाट जगदीश चन्द पुत्र रामकरण जाति अहीर निवासी नवाव का नगला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ने अपनी घरु आवश्यकता के लिये दिनांक 04.05.1988 को प्लाट 10 बाई 40 फुट को कल्लाराम गर्ग के हक में वेचान कर दिया। वक्त खरीद उक्त प्लाट पर कल्लाराम गर्ग का कब्जा रहा है। दिनांक 31.8.2021 को कल्लाराम गर्ग ने 13 बाई 40 फुट का प्लाट भूपसिंह जाट निवासी बरोलीछार को 6000 रूपया लेकर वेचान कर कब्जा संभला दिया। जिस प्लाट को गैरसायलान ने जरिये ईकरारनामा खरीद किया है। वक्त खरीद से गैरसायलान उक्त प्लाट पर काविज रहकर उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। वाद खरीद उक्त प्लाट की गैरसायलान ने कुर्सी तक नींव भर दी। सायल का उक्त प्लाट पर कोई कब्जा नहीं है। इस प्लाट में गैरसायलान ने मेटेरियल डाल रखा है। सायल नाकाविज है। सायल उक्त आराजी का ना तो खातेदार है और ना सायल के पास किसी तरह का टाइटल है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल का प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सावित नहीं है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में छाया प्रति जमाबन्दी संवत् 2073 से 76 वाके ग्राम सहजपुरा तथा छाया प्रति ईकरारनामा दिनांक 28.11.1991, 24.02.1996, 15.12.2021 व विधिक नोटिस की छाया प्रति पेश की है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया।

सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है -

  
उपस्यण्ड अधिकारी  
कम्प्लेक्स (अलवर) राज०

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

वहस सुनी गई। अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त प्लाट खसरा नम्बर 98 वाके ग्राम सहजपुरा का भाग है। जो सायल का जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा है। जिससे गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन गैरसायलान उक्त प्लाट पर जवरन कब्जा कर निर्माण करना चाहते है यदि गैरसायल ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित प्लाट से सायल का किसी तरह का बास्ता नहीं है। उक्त भूमि ना तो सायल की खातेदारी की है और ना किसी तरह का वैद्य टाइटल है। विवादित प्लाट गैरसायलान का खरीदशुदा है जिसकी गैरसायलान ने कुर्सी तक नीव भर रखी है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है नाकाविज सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। जहां तक खसरा नम्बर 98 के राजस्व रेकार्ड का प्रश्न है राजस्व रेकार्ड में सायल खातेदार काशतकार दर्ज नहीं है। सायल का प्रार्थना पत्र अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा पर आधारित है। विवादित प्लाट पर सायल अपना कब्जा बताता है जबकि गैरसायलान अपना कब्जा बताते है। दोनों ही उक्त प्लाट को ईकरारनामा पर खरीद कर कब्जा प्राप्त करना बताते है। कानूनन हुक्मइन्तनाई दवामी का वाद केवल खातेदार काशतकार ही ला सकता है। चूंकि सायल का प्रार्थना पत्र अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा पर

उपखण्ड अधिकारी  
कर्मर (अलवर) राज०

आधारित है। अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा के आधार पर मुकदमा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को है या नहीं व कब्जा के बारे में तथ्य मूल वाद के निस्तारण के समय मूल वाद पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तय किये जावेगे। सायल का प्रार्थना पत्र अनरजिस्टर्ड ईकरारनामा पर आधारित है। सायल ने विवादित प्लाट वावत कोई टाइटल अथवा कब्जा से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। यदि गैरसायलानको पाबन्द कर दिया गया तो उन्हें नुकशान व क्षति होना संभव है। सायल को किसी तरह का नुकशान अथवा क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रार्थना पत्र को सावित करने का भार सायल पर था लेकिन सायल प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहा है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 15.07.222 वैकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

  
लाखनसिंह गर्जर  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राय

आज दिनांक 19.05.2023को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
लाखनसिंह गर्जर  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राय